रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112025-267321
CG-DL-E-01112025-267321

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 699]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 30, 2025/ कार्तिक 8, 1947
No. 699]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2025/ KARTIKA 8, 1947

राष्ट्रीय आवास बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2025

सं. जी.एस.आर. एचओ/एचआरएमडी/डीओसी/2025/03246.— राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से, निदेशक मंडल, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राष्ट्रीय आवास बैंक (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1997 में संशोधित करने के अतिरिक्त निम्नलिखित विनियमों का निर्माण करता है, यथा -

1. (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय आवास बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकता है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1997 के विनियम 14 के उप-विनियम (2) में, खंड (ग) को खंड (ग) (i) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-खंड (i) के पश्चात् और प्रथम परंतुक के पूर्व, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:

" (ii) उप-खंड (i) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई कर्मी सक्षम प्राधिकारी को लिखित में तीन महीने का नोटिस देने के पश्चात् स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है, बशर्ते कि उसने बीस वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, यदि वह राष्ट्रीय आवास बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2003 से शासित नहीं है, और यदि वह राष्ट्रीय आवास बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2003 द्वारा शासित है, तो उसने राष्ट्रीय आवास बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2003 में परिभाषित बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो।

रंजन कुमार बरुन, महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./426/2025-26]

[नोट: राष्ट्रीय आवास बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1997 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 213 (ई), दिनांक 11 अप्रैल, 1997 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और तत्पश्चात् संख्या सा.का.नि. 650 (ई), दिनांक 30 अक्टूबर, 1998, संख्या एनएचबी/एसटीएफ/पीओएल/27, दिनांक 12 सितंबर, 2007 और संख्या जी.एस.आर. एनएचबी/एसईआर/01/2014, दिनांक 23 मई, 2014 द्वारा संशोधित किए गए थे।]

NATIONAL HOUSING BANK

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2025

No. G.S.R. HO/HRMD/DOC/2025/03246.—In exercise of the powers conferred by section 55 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the National Housing Bank (Officers') Service Regulations, 1997, namely: -

1. (1) These regulations may be called the National Housing Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Housing Bank (Officers') Service Regulations, 1997, in regulation 14, in sub-regulation (2), clause (c) shall be renumbered as clause (c) (i) and after sub-clause (i) as so renumbered and before the first proviso, the following sub-clause shall be inserted, namely: -

" (ii) Without prejudice to sub-clause (i), an employee may voluntarily retire after giving to the Competent Authority three months' notice in writing provided he has completed twenty years of service if he is not governed by the National Housing Bank (Employees') Pension Regulations, 2003, and twenty years of qualifying service as defined in the National Housing Bank (Employees') Pension Regulations, 2003, if he is governed by the National Housing Bank (Employees') Pension Regulations, 2003.".

RANJAN KUMAR BARUN, General Manager

[विज्ञापन-III/4/असा./426/2025-26]

[Noted: The National Housing Bank (Officers') Service Regulations, 1997 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* No. G.S.R.213 (E), dated the 11th April, 1997, and were subsequently amended *vide* No. G.S.R. 650(E), dated the 30th October, 1998, No. NHB/STF/POL/27, dated the 12th September, 2007 and No. G.S.R. NHB/SER/01/2014, dated the 23rd May, 2014.]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.11.01 16:47:28 +05'30'